©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2015
www.cag.gov.in

मध्यप्रदेश शासन – वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्र. 2

www.agmp.nic.in

सत्यमेव जयते

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
## सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
## 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए

**मध्यप्रदेश शासन**

*वर्ष 2015 का प्रतिवेदन क्र. 2*

# भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
# सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर

**31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए**

**मध्यप्रदेश शासन**

*वर्ष 2015 का प्रतिवेदन संख्या–2*

# विषय सूची


| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
| प्रस्तावना | | | (v) |
| विहंगावलोकन | | | (vii) – (xiv) |
| अध्याय–1 | | | |
| राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विहंगावलोकन | | | 1-15 |
| अध्याय–2 | | | |
| सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित समीक्षा | | | |
| मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास लिमिटेड भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर में आवंटन एवं आधारभूत संरचना के विकास की गतिविधियों पर निष्पादन लेखापरीक्षा | | 2.1 | 17-34 |
| मध्यप्रदेश के तीन विद्युत वितरण कम्पनियों में पुनर्गठित, त्वरित विद्युत विकास व सुधार कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा | | 2.2 | 35-61 |
| सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र, सारणी, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड में पर्यावरण मापदण्डों के पालन पर निष्पादन लेखापरीक्षा | | 2.3 | 62-75 |
| अध्याय–3 | | | |
| लेनदेन लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ | | 3 | |
| सरकारी कम्पनियाँ | | -- | |
| मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड | | | |
| ब्याज का परिहार्य भुगतान | | 3.1 | 77-78 |
| विशेष आर्थिक क्षेत्र लिमिटेड (इन्दौर) | | | |
| सुरक्षा जमा की ब्याज पर दण्ड ब्याज | | 3.2 | 78 |
| निष्फल व्यय | | 3.3 | 79-80 |
| मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड | | | |
| ब्याज की हानि | | 3.4 | 80 |
| क्रिस्टल आई.टी. पार्क लिमिटेड, इन्दौर | | | |
| राजस्व की हानि | | 3.5 | 81 |
| मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड | | | |
| सामग्री की खरीद पर निष्फल व्यय | | 3.6 | 81-82 |
| मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड | | | |
| गलत टैरिफ श्रेणी को लागू करना | | 3.7 | 82-83 |
| निर्धारित न्यूनतम अनुबंध मांग को लागू न किये जाने से कम बिलिंग | | 3.8 | 83-84 |
| सामान्य | | | |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही | | 3.9 | 84-85 |
| परिशिष्ट | | | |
| क्र.संख्या | विवरण | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
| 1.1 | सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों से संबंधित 31 मार्च 2014 को अद्यतन प्रदत्त पूंजी, बकाया ऋण एवं जनशक्ति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक | 1.7 | 87-93 |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
| 1.2 | वर्ष के दौरान प्राप्त समता पूंजी, ऋण, अनुदान एवं आर्थिक सहायता, प्राप्त गारंटियां, देयताएं, ऋण छूट, अपलेखित ऋण तथा समता पूंजी में परिवर्तित ऋण और मार्च 2014 के अंत में बकाया गारंटी दर्शाने वाला विवरण पत्रक | **1.10** | **94-96** |
| 1.3 | अद्यतन वर्ष जिसके लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया, के लिए सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों के सारांशित वित्तीय परिणाम | **1.15** | **97-104** |
| 1.4 | सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला विवरण पत्रक | **1.15** | **105-106** |
| 1.5 | सांविधिक कम्पनियों के कार्यचालन परिणाम दर्शाने वाला विवरण पत्रक | **1.15** | **107-108** |
| 1.6 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनके लेखे बकाया है, में राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश दर्शाने वाला विवरण पत्रक | **1.22** | **109** |
| 2.1.1 | वर्ष 2009–10 से 2013–14 की अवधि के दौरान भूमि अधिग्रहण/आवंटन प्रकट करने वाला विवरण पत्रक | **2.1.7, 2.1.18, 2.1.29** | **110** |
| 2.1.2 | आवंटियों से होने वाली ब्याज सहित छूट की वसूली को दर्शाने वाला विवरण | **2.1.10, 2.1.22, 2.1.31** | **111-114** |
| 2.1.3 | आवंटन/हस्तांतरण पर अतिरिक्त प्रीमियम न वसूले जाने से राजस्व में हुई हानि को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्रक | **2.1.17, 2.1.33** | **115-116** |
| 2.1.4 | प्राईम लोकेशन प्लाट पर अतिरिक्त प्रब्याजि पर 75 प्रतिशत छूट देने के कारण हानि को दर्शाने वाला विवरण | **2.1.21** | **117** |
| 2.2.1 (अ) | डी.पी.आर. प्रस्तुत कर अनुमोदित और लागत का विवरण पत्र पूर्व डिस्कॉम | **2.2.8** | **118** |
| 2.2.1 (ब) | डी.पी.आर. प्रस्तुत कर अनुमोदित और लागत का विवरण पत्र मध्य डिस्कॉम | **2.2.26** | **119** |
| 2.2.1 (स) | डी.पी.आर. प्रस्तुत कर अनुमोदित और लागत का विवरण पत्र पश्चिम डिस्कॉम | **2.2.44** | **120** |
| 2.2.2 (अ) | डी.पी.आर. अनुमोदित, अनुबंध करना, अनुबंध की मूल अवधि और टर्नकी ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के मूल्य का विवरण पत्रक पूर्वी डिस्कॉम जबलपुर | **2.2.21** | **121-122** |
| 2.2.2 (ब) | डी.पी.आर. अनुमोदित, अनुबंध करना, अनुबंध की मूल अवधि और टर्नकी ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के मूल्य का विवरण पत्रक मध्य डिस्कॉम भोपाल | **2.2.35** | **123-124** |
| 2.2.2 (स) | डी.पी.आर. अनुमोदित, अनुबंध करना, अनुबंध की मूल अवधि और टर्नकी ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्य के मूल्य का विवरण पत्रक पश्चिम डिस्कॉम इंदौर | **2.2.53** | **125-126** |

| विवरण | | संदर्भ | |
|---|---|---|---|
| | | कण्डिका | पृष्ठ संख्या |
| 2.2.3 (अ) | पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मे स्काडा परियोजना की महत्वपूर्ण सामग्रियों की स्थिति का विवरण पत्रक पूर्वी डिस्कॉम | **2.2.18** | **127-128** |
| 2.2.3 (ब) | पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मे स्काडा परियोजना की महत्वपूर्ण सामग्रियों की स्थिति का विवरण पत्रक मध्य डिस्कॉम | **2.2.33** | **129-130** |
| 2.2.3 (स) | साईट पर सामग्री की पर्याप्त मात्रा की अनुपलब्धता के विवरण को दर्शाने वाला विवरण | **2.2.51** | **131-134** |
| 2.3.1 | पॉवर स्टेशन वार व यूनिट वार स्थापित क्षमता व प्रारंम्भ की तारीख का विवरण | **2.3.1** | **135** |
| 3.1 | कंडिकाएं /निष्पादन लेखापरीक्षाएं जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नही हुई है, दर्शाने वाला विवरण पत्रक | **3.9.1** | **136** |
| 3.2 | बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है, दर्शाने वाला विवरण | **3.9.2** | **137** |
| 3.3 | निष्पादन लेखापीक्षएं तथा प्रारूप कंडिकाएं जिनके उत्तर प्रतीक्षित है | **3.9.3** | **138** |

# प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिये सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों का उल्लेख करता है।

सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के प्रावधानों के अंतर्गत संचालित की जाती है। कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड अकाउंटेन्टस) द्वारा प्रमाणित लेखे नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा पूरक लेखापरीक्षा किये जाने के अधीन है और उन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी टिप्पणी देते है या सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन को पूरकता प्रदान करते है। इसके अतिरिक्त, यह कम्पनियां नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के अधीन है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा नियम) अधिनियम, 1971 की धारा 19–अ के प्रावधानों के अनुसार राज्य विधान सभा के पटल पर रखने हेतु नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते है।

इस प्रतिवेदन में उन प्रकरणों का उल्लेख किया गया है जो 2013–14 की लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये तथा वह भी जो विगत वर्षो में ध्यान में आये थे परन्तु उन्हे पिछले प्रतिवेदन में समाविष्ट नहीं किया गया था। जहाँ आवश्यक समझा गया है वहाँ 2013–14 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी इस प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है ।